उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-82 /2016/2063/92-2-2016-151जॉच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 22 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद फैजाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के फेज-10 के पैकेज सं0-यू0पी0-13141 की निविदा को कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर रिस्पान्सिव किये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम द्रष्टया दोषी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-06/2016/199/92-2-16-151जांच/2015 दिनांक 29-01-2016 द्वारा श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल- फैजाबाद के विरूद्व अधिरोपित आरोप निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज-10 के अंतर्गत पैकेज सं0-13141 की निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके अनुसार निविदायें आमंत्रित की गयी, जिसके अनुसार निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17-10-2014 तथा निविदाओं के खोलने की तिथि 20-10-2014 निर्धारित थी, जिसकी तकनीकी बिड पार्ट-1 दिनांक 20-10-2014 को खोली गयी परन्तु लगभग 73 दिनों के अंतराल के बाद अत्याधिक विलम्ब से तकनीकी बिड मूल्यांकन पार्ट-1 बेवसाइट पर अपलोड करने की अनुमति यू0पी0आर0आर0डी0ए0 से मांगी गयी।

आरोप संख्या-2

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के पत्रांक-5542/एस0 ई0-आरईडी/पीएमजीएसवाई-2/टे0बि0/2014-15 दिनांक 02-01-2015 द्वारा पैकेज सं0-यू0पी0-13141 में प्रतिभाग करने वाले दोनो निविदादाताओं की निविदा एस0बी0डी0 की शर्तो के अनुरूप अर्ह नही पाये जाने के कारण मूल्यांकन समिति (जिसके अधीक्षण अभियंता अध्यक्ष थे) द्वारा नॉन रिस्पॉसिव घोषित की गयी, परन्तु वित्तीय बिड पार्ट-2 को खोलने की संस्तुति यू0पी0 आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित की गयी, जबकि दोनो निविदादाताओं की निविदायें नॉन रिस्पॉसिव होने की दशा में पुर्न निविदा आमंत्रित किये जाने की संस्तुति की जानी चाहिये थी। उक्त त्रुटि के कारण यू0पी0आर0आर0डी0ए0 द्वारा अपने पत्रांक-4404/अी-226/यूपीआरडीए/2015 दिनांक 14-01-2015 द्वारा पैकेज संख्या-13141 के अंतर्गत दोनो निविदादाताओं को नान-रिस्वॉसिव पाये जाने के संबंध में आख्या बिड मूल्यांकन समिति की संस्तुति सहित उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यू0पी0आर0आर0डी0ए0 के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में तकनीकी बिड मूल्यांकन समिति (जिसके अध्यक्ष अधीक्षण अभियंता स्वयं थे) द्वारा पुर्नमूल्यांकन कर आख्या परिमण्डल फैजाबाद के पत्रांक-6530 दिनांक 19-2-2015 द्वारा यू0पी0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित की गयी, जिसमें मै0 विनोद कुमार, ठेकेदार/फर्म की निविदा को रिस्पॉसिव घोषित किया गया जबकि श्री विनोद कुमार सिंह सा-कोडरा, थाना-मैरियां जिला-सीवान का चरित्र प्रमाण पत्र के कूटरचित होने की सूचना एस0पी0 सीवान के पत्रांक-19750 सत्यापन दिनांक 6-12-2014 द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में दिनांक 17-12-2014 को प्राप्त हो गयी थी। कूटरचित व फर्जी दस्तावेज की जानकारी की पुष्टि होने के बावजूद भी बिड मूल्यांकन समिति के अन्य सदस्यों को संज्ञानित न कराकर, अधीक्षण अभियंता के पद का दुरूपयोग किया गया तथा बिड मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष पद के दायित्वों का समुचित निर्वहन नही किया गया।

2- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यो के क्रियान्वयन में बरती जा रही शिथिलता/अनियमितता करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही के संबंध में शासन स्तर पर समीक्षा की गयी तथा प्रश्नगत योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यो में बरती जा रही शिथिलता, लापरवाही एवं गम्भीर अनियमितता के दृष्टिगत पुन: सम्यक विचारोपरान्त श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-चित्रकूट, बॉदा, जिनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-01-2016 द्वारा पूर्व से ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित है, को उक्त अनियमितताओं के लिये तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। निलम्बन अवधि में श्री एम0के0 श्रीवास्तव, कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्व रहेगें।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

4- निलम्बन की अवधि में श्री एम0के0 श्रीवास्तव को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन-निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपर्युक्त प्रस्तर-4 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब श्री एम0के0 श्रीवास्तव इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-82/2016/2063/(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-994/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क-/व्य0प0/2016-17 दिनांक 16-11-2016 के क्रम में।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट, बॉदा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।